उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-9/2023/469/एक-1-2023-1-1099/318/2021
लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2023

<u>अधिसूचना</u>

वरिष्ठ प्रबन्धक, (परियोजना) आई0एच0बी0, प्रा0लि0 लखनऊ के पत्र संख्या-आई0एच0बी0/लखनऊ/सी0ए0/रायबरेली दिनांक-15.01.2021 के क्रम में काण्डला से गोरखपुर तक पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु अर्जित भूमि के मध्य आने वाली ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरण की भूमि पर अंडरग्राउन्ड पाइप लाइन बिछाने से संबंधित जनपदों यथा ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ आदि में ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित सार्वजनिक भूमियों पर अंडर ग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाने की अनुमति इस शर्त के अधीन दी जाती है कि इस संबंध में यदि कोई कंपनसेशन गांव सभा को देय हो, तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जायेगा।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in